न्यायालय बईजलास ज्ञानमल खटीक आर.ए.एस. सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चितौड़गढ़ (राज.)

दावा संख्या :: 27/2013

मोहन आत्मज घीसा जी धाकड निवासी चैनसिंह जी का राजपुरा
वादी

बनाम

1. श्री किशोर आत्मज घीसा जी धाकड निवासी चैनसिंह जी का राजपुरा
2. श्रीमती राधीबाई पुत्री स्व0घीसा जी धाकड पत्नि भीमराज जी धाकड नि0 बांदोडा तह0 बेगूँ
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बेगूँ भूमिधारी
4. श्री राजस्थान राज्य द्वारा जिला कलेक्टर चितौडगढ

प्रतिवादीगण

उपस्थित :: श्री एस0एन0ईनाणी
अधिवक्ता वादी
श्री एस0सी0टेलर
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक: 5.10.2016

निर्णय दावा अ0धा0 88 एवं 53 राज0काश्त0अधि0

वादी द्वारा वाद पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मण्डावरी तह0 बेगूँ में आराजी संख्या 404 रकबा 0.73 हैक्टर एवं ग्राम चैनसिंह जी का राजपुरा में कुल 17 कीता आराजीयात जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:

खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर	लगान
60	1.3760	9.35
113	0.0320	0.08
116	0.1540	1.05
123	0.0400	0.01
124	0.2830	1.92
179	0.0810	0.02
210	0.0490	0.09
264	0.5180	1.28
272	0.2270	0.56
418	0.0160	0.03
421	0.0080	0.01
465	0.1050	4.55
479	0.0240	0.06
480	0.0970	4.02
269	0.1700	1.01
		2.38
271	0.4450	12.01
		1.54
606	0.2190	1.89
कीता 17	3.84400	42.49

उपरोक्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी सं01,2 की पुश्तैनी होकर रेकार्ड में समान हक से अंकित है । आराजीयात में वादी एवं प्रतिवादी सं01 का 1/2 . 1/2 हक हिस्सा अंकित कराना चाहते है ।

वादी की प्रार्थना है कि :

पक्ष वादी विरूद्व प्रतिवादीगण घोषणात्मक डिक्री प्रदान की जाकर यह घोषित फरमाया जावे कि वाद पत्र की चरण सं0 में वर्णित आराजयीात वाके मौजा मण्डावरी व चैनसिंह जी काराजपुरा में वादी एवं प्रतिवादी सं01 का 1/2. 1/2 हक व हिस्सा है और इसी के अनुसार रेकार्ड में अंकन फरमाया जावे व प्रतिवादी सं02 का नाम रेकार्ड से विलोपित कियेक जाने की डिक्री प्रदान की जावें ।

वाद पत्र की चरण सं0 1 में वर्णित आराजीयात वाके मौजा मण्डावरी व चैनसिंह जी का राजपुरा का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी में विभाजन कराया जाकर 1/2 .1/2 हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं01 के रखाया जावे । इसी के अनुसार अलग अलग रेकार्ड में अंकन कराये जाने की डिक्री प्रदान की जावे एवं प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक चितौडगढ शाखा बेगूँ के नाम रहन का इन्द्राज प्रतिवादी सं01 के खाते पर रखाया जावें ।

इस दावा पत्रावली में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश अ0धा0 2 नियम 2 जा.दी. पर न्यायालय द्वारा दिनांक 17.8.2011 को निर्णय करते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दावा वादी का खारिज किया गया ,जिसके विरूद्व अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय चितौडगढ के न्यायालय में किए जाने पर माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी चितौडगढ के निर्णय दिनांक 10.5. 2012 से अपील स्वीकार करते हुए इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.85.2011 को अपास्त किया जाकर प्रकरण उभयपक्ष की साक्ष्य व सुनवाई पश्चात विधिसम्मत निर्णय किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाने पर दावा पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रतिवादीगण को तलब किया गया । प्रकरण में प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री एस0सी0टेलर द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तत कर जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया गया कि प्रकरण मे प्रतिवादी सं0 की साक्ष्य के उपरांत ही निर्णय किया जाना उचित रहेगा । पत्रावली साक्ष्य वादी में विचाराधीन थी ,प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी द्वारा राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वाद वर्णित कृषि आराजीयात में 1/2 .1/2 हक हिस्से अनुसार विभाजन किये जाने का आदेश फरमाया जावें । वादी मोहन द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी प्रदर्श 1 व 2 तथा बहिन द्वारा हक त्याग पत्र प्रदर्श 3 प्रदर्श करा अपने बयान को कलमबद्व कराये गए । पत्रावली में राजीनामा पत्र पर बहस सुनी गई तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया । नकल जमाबंदी के अनुसार वादी मोहन प्रतिवादी किशोर एवं प्रतिवादी राधीबाई वर्णित आराजीयात के खातेदार है तथा प्रदर्श 3 के अनुसार राधीबाई ने अपने हक हिस्से का हक त्याग दोनो खातेदार मोहन व किशोर को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से किया हुआ है । इस प्रकार वाद वर्णित आराजीयात के 1/2 .1/2 हक से खातेदार है तथा उक्त हिस्सानुसार विभाजन करा पाने के अधिकारी पाये जाते है।

अतः वाद वादी का अ0धा053 आर0टी0एक्ट का राजीनामा अनुसार व दस्तावेज के अनुसार स्वीकार किया जाता है। मौजा मण्डावरी की आराजी संख्या 404 रकबा 0.7360हैक्टर भूमि एवं मौजा चैनसिंह जी का राजपुरा प0ह0मण्डावरी की आराजी संख्या 60, 113, 116, 123, 124, 179, 210, 264, 272, 418, 421, 465, 479,480,269,271,606 कीता 17 कुल रकबा 3.84400हैक्टर भूमि में वादी का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादी सं01का हिस्सा 1/2 अनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर विभाजन किए जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1000रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है । दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को दी जाकर उक्त आराजी का फर्द बटवारा रिपोर्ट मय नक्शाट्रेस के साथ तलब की जावें ।

निर्णय आज दिनांक 6.10.2016 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

6/10/16

(ज्ञानमल खटीक)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी),बेगूँ